2023/540
जी.सी.एम.एस.न. ....

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... दौलतराम .... बनाम .... भगोधाती ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर ..... 259 ..... वर्ष 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/03/2025	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/06/25 को पेश हो।	
10/6	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थि। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 11/7/25 को पेश हों।	
11/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। वकील वादी ने पूर्व में पेश प्रा० पत्र कायम मुकाम पर वकील वादी को सुना जाकर प्रा० पत्र कायम मुकाम के स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादी को सुना जाकर, वकील वादी द्वारा पूर्व में पेश प्रा० पत्र कायम मुकाम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। वकील वादी संशोधित शीर्षक पेश करें। वादी [illegible] संशोधित शीर्षक मिशल दिनांक [illegible] को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज	नंबर व तारीख जो इस ... तामील ...
04/08/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता का गलत नाम ''धोलाराम पुत्र सुरजाराम'' दर्ज हैं जबकि वादीगण के पिता का नाम ''धोलाराम पुत्र सुरजाराम'' की जगह ''दौलतराम पुत्र सुरजाराम'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं किः– **आदेश** तन ग्राम चला की ढाणी पटवार हल्का मण्डोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 79, 54, 66, 67, 76, 398, 401, 55 ता 60, 62 ता 64, 68, 53, 129, 138, 147 में वादीगण के पिता का गलत दर्ज नाम ''धोलाराम पुत्र सुरजाराम'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''दौलतराम पुत्र सुरजाराम'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार ... की जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से ... हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर ... हो। आदेश आज ईजलास सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. दौलतराम पुत्र श्री सुरजाराम (मृतक) वगैरह

–वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं. 259 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री सुरेश कुमार सैनी एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम चला की ढाणी पटवार हल्का मण्डोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 79, 54, 66, 67, 76, 398, 401, 55 ता 60, 62 ता 64, 68, 53, 129, 138, 147 में वादीगण के पिता का गलत दर्ज नाम "धोलाराम पुत्र सुरजाराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "दौलतराम पुत्र सुरजाराम" दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज....................मुबलिग..बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **04 माह 08 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे किसी भी तरीके दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested